

यायालय उप जिला कलेक्टर टोडाभीम

(1)

फर्द अहकाम

मु. नं 13/16


तारीख रजु 26. 2. 16

उनवान - जगदीश बनाम तुहसीलदार
गळजुपुरा

यापानावर इन्डाज तुहसीलदार अन्तर्गत धार
88 सा. 2. एफ

वादी की ओर से राम मेरासी गुप्ता A-क ने दावा
बाबत इन्डाज तुहसील व बोवणा श्वेतकारी पेश
किया। दस्तावेज, शपथ पत्र का अवलोकन किया
गया। यापान दर्ज शीत रूबर कर प्रीतवादी को जीरे से
सम्मान से तलब कर पत्रावली दिनांक 18.3.16 को
पेश है।

466
26.2.16


उपजिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

83/16




वादी वकील उप.। प्रतिवादी स्वयं दस्तावेज उपस्थित
नहीं है उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गयी
है प्रमाण इन्डाज तुहसील का है जिससे लेव होल्डर
की रिपोर्ट प्राप्त करना आवश्यक है इसलिए तहसीलदार से
रिपोर्ट प्राप्त कर दिनांक 18.4.16 को पेश है।

उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
टोडाभीम (करौली)

वादी वकील उप.। गतादे शिवा. तुहसील पत्रावली
लेव होल्डर से रिपोर्ट तलब कर दिनांक 25.5.16
को पेश है।

उपजिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट
टोडाभीम (करौली)

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम २

नांक	फर्द अहकाम
7-2-17	<p>वकूलाय उप / पेश केस साक्ष्यवादी लोक अदालत सुनवाई दिनांक 11-2-17 को पेश हो।</p> <p></p> <p>उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करोली)</p>
11-2-17	<p>वकूलाय उप / गतानुसार साक्ष्यवादी दिनांक 14-2-17 को पेश हो।</p> <p></p> <p>उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करोली)</p>
14-2-17	<p>पत्रावली पेश हुई वादी वकील उपस्थित नहीं है। फर्द का आवाज दिलाई गई। फिर भी वादी वकील एवं वादी में से कोई भी उपस्थित नहीं है। अतः यह दावा अफस हाजिरी एवं अफस पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुभान हो का नमूना लेकम हो का दाखिल दफत हो।</p> <p></p> <p>उपजिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट टोडाभीम (करोली)</p>